MCOF OBJECTS TO JIO STBs

Maharashtra Cable Operators' Foundation (MCOF) has flagged off several unethical practices in the television distribution segment. In a letter written to the Telecom regulatory authority of India (TRAI), it has alleged that some multi system operators (MSOs) are violating rules and taking the unethical route of business.

MCOF has expressed concern about Den Networks and Hathway for imposing replacement of existing STBs by STBs under Jio brand in the last six months. The federation has claimed that the two MSOs have not replaced the expired standard interconnection agreement (SIA) with the model interconnection agreement (MIA) without offering any explanation for the rebranding.

MCOF stated that Jio is not a registered MSO nor has it signed interconnection agreement (ICA) with LCOs. Moreover, Hathway and DEN continued to rely upon expired SIA overlooking repeated requests to adopt MIA.

"We fail to understand as to how auditors have overlooked the mismatch between CAS, STB inventory and conflicting branding, head-ends can be used as pass-through pipes for signals from another MSO, random off-site checks by broadcasters through watermarking have not detected the malpractices," it added.

Against this context, MCOF has asked copies of ICA between Jio and Broadcasters and status of MSO License to Den and Hathway. It has also called for clarification on whether a mere share purchase deal allows the buyers to change brands and automatically subrogate the company whose shares it buys.

It has also requested the industry watchdog to share the steps it is taking to prevail on MSO to sign up fresh ICA with LCOs by mutual consensus rather than arm-twisting via Prepaid Portal Access denial. MCOF has also asked directions for the course of actions that LCOs should take to safeguard against likely disabling of STBs that are drawing signals from third party head-end or suspension of feed sharing between MSOs. ■

जियो एसटीबी पर एमसीओएफ की आपत्ति

महाराष्ट्र केबल ऑपरेटर्स फाउंडेशन (एमसीओएफ) ने टेलीविजन वितरण प्रणाली में कई अनैतिक प्रथाओं पर अपनी आपत्ति दर्ज की है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) को लिखे गये अपने पत्र में यह आरोप लगाया गया है कि कुछ मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और व्यापार को अनैतिक मार्ग पर ले जा रहे हैं।

एमसीओएफ ने पिछले 6 महीने के दौरान जियो ब्रांड के तहत मौजूदा एसटीबी को जियो एसटीबी से बदलने के लिए डेन नेटवर्क व हेथवे के लिए चिंता व्यक्त की है। महासंघ ने दावा किया है कि दो एमएसओ ने रीब्रांडिंग के लिए कोई स्पष्टीकरण पेश किये बिना मॉडल इंटरकनेक्शन समझौते (एमआईए) के साथ समाप्त हो चुके मानक इंटरकनेक्शन समझौते (एसआईए) को प्रतिस्थापित नहीं किया है। एमसीओएफ ने कहा है कि जियो एक पंजीकृत एमएसओ नहीं है और न इसने एलसीओ के साथ इंटरकनेक्शन समझौते (आईसीए) पर हस्ताक्षर किये हैं। इसके अलावा हेथवे व डेन ने एमआईए को अपनाने के लिए बार-बार अनुरोध की अनदेखी करके समाप्त हो चुके एसआईए पर भरोसा करना जारी रखा।

इसने बताया कि 'हम यह समझने में विफल रहे कि कैसे ऑडिटरों ने एसटीबी इन्वेंट्री, सीएएस व परस्पर विरोधी ब्रांडिंग के बीच बेमेल को अनदेखा कर दिया है और हेडएंड का इस्तेमाल अन्य एमएसओ को पाइप की सहायता से सिगनलों को पास करने के लिए किया जाता है, वॉटरमर्किंग के माध्यम से प्रसारकों द्वारा रैंडम ऑफ साइट जांच में भी इस गलत काम का पता नहीं चला। इस संदर्भ में एमसीओएफ ने जियो व प्रसारकों के बीच आईसीए की प्रतियों और डेन व हेथवे को एमएसओ लाइसेंस की स्थिति के बारे में पूछा है। इसने यह भी स्पष्ट करने का आग्रह किया है कि क्या एकमात्र शेयर खरीद सौदा खरीदारों को ब्रांड को बदलने और स्वचालित रूप से उस कंपनी को पूछताछ करने की अनुमति देता है जिसके शेयर वह खरीदता है।

इसने उद्योग के प्रहरी से अनुरोध किया है कि वह प्रीपेड पोर्टल एक्सेस इंकार के माध्यम से परेशान करने के बजाय आपसी सहमति से एलसीओ के साथ नये आईसीए पर हस्ताक्षर करने के लिए एमएसओ द्वारा प्रचलित कदमों को साझा करने के लिए काम करे। एमसीओएफ ने उन कार्रवाईयों के लिए भी दिशा-निर्देश मांगे हैं जो एलसीओ को एसटीबी की संभावित अक्षमता से सुरक्षा लेने के लिए चाहिए, जो कि तीसरे पक्ष के एमएसओ से सिगनल प्राप्त कर रहे हैं या एमएसओ के बीच फीड हिस्सेदारी को निरस्त कर रहे हैं। ■